Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) ______________________

   (Name) ______________________

2. (Signature) ______________________

   (Name) ______________________

Roll No. | | | | | | | | |

(In figures as per admission card)

Roll No. ______________________

(In words)

Test Booklet No.

D—6805

PAPER—III

CRIMINOLOGY

Time : 2½ hours] **[Maximum Marks : 200**

Number of Pages in this Booklet : **32** Number of Questions in this Booklet : **26**

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

   No Additional Sheets are to be used.
3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
   (i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
   (ii) **Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. **Use only Blue/Black Ball point pen.**
9. **Use of any calculator or log table etc. is prohibited.**
10. **There is NO negative marking.**

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।

   इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
   (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।
   (ii) **कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ / प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले ले। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।**
4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
8. **केवल नीले / काले बाल प्वाईंट पैन का ही इस्तेमाल करें।**
9. **किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।**
10. **गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।**

CRIMINOLOGY

अपराधशास्त्र

PAPER – III

प्रश्न-पत्र – III

NOTE: **This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.**

नोट : यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंको का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

SECTION - I

खण्ड – I

Note : This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है।

(5x5=25 अंक)

Delinquency in India

Compared with other societies, in India juvenile delinquency is relatively uncommon and not especially serious when does occur. This conclusion is based on both official records and self-report studies. Why is delinquency relatively rare in India.

Part of the Answer is that India's economy is a peasant or agrarian one, and in such an economy young people are not superfluous as they are in advanced industrial economics. In post industrial societies such as the United States, the absence of much need for unskilled labour means that young people must postpone their entry into the labour force. This often leads to an adolescent subculture that is sometimes supportive of delinquency. In contrast, a peasant economy makes use of unskilled labour, and children and adolescents are thus integrated into the social network of their community. In India, where many businesses are run by families, children are introduced into the economic system by their families at a young age.

Young Indians are integrated into their society to an even greater degree than their participation in the labour force would suggest. Indian society is organised in terms of role relationships that create for everyone a set of obligations to the family, the subcaste, and the community. People are expected to care for others, even distant relatives and employees. Social bonds create much interdependence. Thus agricultural workers and landowners have mutual obligations and patterns of respect that extend beyond their relationship as a worker and employer. As a result, an employer becomes almost a surrogate parent to the worker and is obliged to look after the employees welfare. The worker, in turn, has obligations to the employer that are not due simply to economic dependence, but are defined by the work role itself.

- Clayton A Hartjen and S. Priyadarshni

भारत में बाल-अपराध

अन्य समाजों की तुलना में भारत में बाल-अपराध सापेक्षत: आम नहीं है एवं विशेषत: गंभीर नहीं हैं। यह निष्कर्ष शासकीय अभिलेखों तथा स्वयं प्रतिवेदित अध्ययनों दोनों पर आधारित है। भारत में बाल-अपराध सापेक्षत: विरल क्यों हैं?

इसका आंशिक उत्तर यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषकीय अथवा खेतीप्रधान है। तथा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में युवा लोग आडंबरपूर्ण नहीं होते जैसा वे विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में होते हैं। उत्तर-औद्योगिक समाजों, जैसे संयुक्त राज्य में अदक्ष श्रमिकों की अधिक आवश्यकता नहीं होने का अर्थ यह है कि श्रमिकों के रूप में युवा वर्ग वहाँ प्रवेश निलम्बित करें। इससे बहुधा किशोर उप-संस्कृति प्रतिफलित होती है जो कभी-कभी बाल-अपराध को आलंबन प्रदान करती है। इसके विपरीत, कृषकीय अर्थव्यवस्था में अदक्ष श्रमिकों का उपयोग होता है और बाल तथा किशोर वर्ग अपने समुदाय के सामाजिक ढांचे में एकीकृत हो जाते हैं। भारत में, जहाँ अनेक व्यवसाय परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं, बच्चों को उनके परिवारों द्वारा कम उम्र में ही आर्थिक प्रणाली में प्रविष्ट करा दिया जाता है।

श्रमिक बल में उनकी जितनी सहभागिता होनी चाहिए, भारतीय किशोर उससे भी अधिक सीमा तक अपने समाज में एकीकृत हो जाते हैं। कार्यकलापों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज में विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका व्यवस्थित है जिसके कारण परिवार, उप-जाति या समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ दायित्व होते हैं। लोगों से दूसरें और यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों और अपने मुलाजिमों के हितों का ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है। सामाजिक बंधन अत्यधिक परस्पर-निर्भरता उत्पन्न करता है। इस प्रकार, खेतिहर मजदूरों तथा जमींदारों के साँझे दायित्व एवं पारस्परिक आदर के प्रतिमान हैं जो इन दोनों के बीच के कामगार तथा नियोक्ता के संबंधों से ऊपर हो जाते है। इसके परिणामस्वरूप एक नियोक्ता कामगारों के लिए लगभग एक स्थानापन्न अभिभावक बन जाता है तथा कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना उसका दायित्व बन जाता है। दूसरी ओर, नियोक्ताओं के प्रति कामगारों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं जो केवल आर्थिक-निर्भरता के कारण ही नहीं अपितु उनके कार्य की भूमिका द्वारा परिभाषित होते हैं।

- क्लेटोन ए. हार्टजेन तथा एस. प्रियदर्शनी

1. On what basis the authors have concluded that juvenile delinquency is relatively uncommon in India ?

लेखकों ने यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला है कि बाल-अपराध भारत में सापेक्षत: आम नहीं हैं?

2. "Young people are not superfluous as they are in advanced industrial economics" - critically analyse.

"युवा लोग आडंबरपूर्ण नहीं हैं जैसा कि वे विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में होते हैं" – समालोचनात्मक विश्लेषण करें।

3. Explain how the social network in the Indian Community helps for social solidarity.

भारतीय समुदाय में सामाजिक तंत्र किस प्रकार सामाजित एकजुटता में सहायक है। व्याख्या कीजिये।

4. How does an employer becomes a surrogate parent according to the authors ?
लेखकों के अनुसार नियोक्ता कैसे स्थानापन्न मातृ-पितृवत् बनता है?

5. What are the obligations of the worker towards achieving effective community relations ?
प्रभावी सामुदायिक संबंधों को सुनिश्चित करने की दिशा में कामगारों के दायित्व क्या हैं?

SECTION - II
खण्ड – II

Note : This section contains fifteen (15) questions each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks. **(5x15=75 marks)**

नोट : इस खंड में के पंद्रह (15) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है। **(5x15=75 अंक)**

6. Define 'Tort'.

'टौर्ट' की परिभाषा दीजिए।

7. Explain the doctrine of "Free Will".

"स्वतंत्र इच्छा" सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये।

8. Explain Physiognomy.
कपाल विज्ञान (फिजिओग्नोमी) की व्याख्या कीजिए।

9. Give a brief account of "Law of Imitation".
अनुकरण के कानून की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए।

10. Explain secondary deviance.

द्वितीयक विचलन की व्याख्या कीजिए।

11. Who is a habitual offender ?

आदतन अपराधी कौन है?

12. Explain reliability and validity of data.

आँकड़ों की विश्वसनीयता एवं उपयुक्तता की व्याख्या कीजिए।

13. What is a null hypothesis ?

एक निष्प्रभावी उपकल्पना क्या है?

14. Define Expost-Facto research.

कार्योत्तर शोध की परीभाषा दीजिए।

15. Explain social disorganisation as a cause of crime.

सामाजिक विघटन की अपराध के एक कारण के रूप में व्याख्या कीजिए।

16. What are the functions of observation home ?
निरीक्षण गृहों के क्या कार्य है?

17. What are the objectives of punishment ?
दण्ड के कौन-कौन से उद्देश्य है?

18. What are the functions of Crime Record Bureau ?
अपराध अभिलेख ब्यूरो के क्या-क्या कार्य है?

19. Explain 'Judicial Confession'.
'न्यायिक स्वीकारोक्ति' की व्याख्या कीजिये।

20. Explain the term hidden crime.

'अदृश्य अपराध' की व्याख्या कीजिए।

SECTION - III
खण्ड – III

Note : This section contains five (5) questions of twelve (12) marks each. Each question is to be answered in about two hundred (200) words. **(12x5=60 marks)**

नोट : इस खंड में बारह (12) अंको के पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग दो सौ (200) शब्दों में अपेक्षित है। **(12x5=60 अंक)**

21. Critically examine crime in India from the perspective of radical criminology.

रेडीकल अपराधशास्त्र के परिपेक्ष में भारत में अपराध के समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

22. Discuss the controversies and debates on the media and crime.

मीडिया और अपराध पर विवादों एवं बहस की चर्चा कीजिए।

23. What is called 'dying declaration' ? Explain the legal position of the same in India.

'मृत्यु पूर्व' कथन क्या है? भारत में इसकी वैधानिक स्थिति की व्याख्या कीजिए।

24. Explain the need for human right in prisons. What are the rights of prisoners available in India.

कारागारों में मानवाधिकारों की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। भारत में बंदियों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त है?

25. Distinguish between probability and non-probability sampling techniques. Illustrate with suitable examples.

नमूना इकट्ठा करने के तरीके सम्भावना और असम्भावना में भेद कीजिए। उपयुक्त उदाहरण दीजिए।

SECTION - IV
खण्ड – IV

Note : This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics.

(40x1=40 marks)

नोट : इस खंड में एक चालीस (40) अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है। **(40x1=40 अंक)**

26. Discuss the causes and consequences of domestic violence in India.

भारत में घरेलू हिंसा के कारणों एवं परिणामों की चर्चा कीजिए।

OR / अथवा

Critically examine the legal position of capital punishment in India. What are the reactions of the public towards capital punishment in India in the context of recent judgements ?

भारत में मृत्युदण्ड की वैधानिक स्थिति की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिये। भारत में कुछ समय पूर्व दिये गये न्यायिक आदेशों के परिपेक्ष में मृत्युदण्ड के लिए जनता की प्रतिक्रिया क्या है?

FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words) .....

(in figures) .....

Signature & Name of the Coordinator .....

(Evaluation) Date .....